रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24052021-227139 CG-DL-E-24052021-227139

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 272] No. 272] नई दिल्ली, सोमवार, मई 24, 2021/ज्येष्ठ 3, 1943 NEW DELHI, MONDAY, MAY 24, 2021/JYAISTHA 3, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2021

सा.का.िन. 338 (अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पिठत धारा 50ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:--

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–(1) इन नियमों का का संक्षिप्त नाम आय-कर (सोलहवां संशोधन) नियम, 2021 है।
 - (2) आय-कर नियम 1962 के नियम 11पकघ के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"11पकङ. आय-कर अधिनियम की धारा 50ख के प्रयोजनों के लिए पूंजी आस्तियों के उचित बाजार मूल्य की संगणना. (1) धारा 50ख की उपधारा (2) के खंड (ii) के प्रयोजन के लिए पूंजी आस्तियों के उचित बाजार मूल्य का अवधारण उपनियम (2) के अधीन एफएमवी1 या उपनियम (3) के अधीन एफएमवी2, इनमें से जो भी उच्चतर हो, किया जाएगा।

2782 GI/2021 (1)

(2) एफएमवी1 निम्नलिखित सूत्र के अनुसार अवधारित मंदी विक्रय द्वारा अंतरित पूंजी आस्तियों का उचित बाजार मुल्य होगा-

ए+बी+सी+डी-एल, जहां

ए=सभी आस्तियों का (आभूषण, कलाकृति, शेयर, प्रतिभूति और स्थावर संपत्ति से भिन्न) उपक्रम या प्रभाग की लेखाबहियों में उपदर्शित वही मूल्य जिसको मंदी विक्रय के माध्यम से अंतरित किया गया है जिसे निम्नलिखित रकम से जो ऐसे उपक्रम या प्रभाग से संबंधित है से घटा दिया गया है,-

- (i) आय-कर की संदत्त कोई रकम, यदि कोई हो घटा आय-कर के प्रतिदाय का दावा की गई रकम, यदि कोई हो; और
- (ii) आस्ति के रूप में उपदर्शित कोई रकम जिसके अंतर्गत अनाअपाकृत अस्थगित व्यय की रकम है जो किसी आस्ति के मृत्य का का प्रतिनिधित्व नहीं करती है;

बी=आभूषण और कलाकृति की कीमत जो उसे किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक से अभिप्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर ख़ुले बाजार में उसका विक्रय करने से प्राप्त होगी;

सी=नियम 11पक के उपनियम (1) में उपबंधित रीति में यथा अवधारित शेयरों और प्रतिभूतियों का उचित बाजार मूल्य;

डी=स्थावर संपत्ति के संबंध में स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मृल्य;

एल=उपक्रम या प्रभाग की लेखाबहियों में यथा दर्शित दायित्वों का वही मूल्य जिसे मंदी विक्रय के माध्यम से अंतरित किया गया है किंतु जिसके अंतर्गत निम्नलिखित रकम सम्मिलित नहीं है जो ऐसे उपक्रम या प्रभाग से संबंधित है, अर्थात:-

- (i) साम्या शेयरों के संबंध में समादत्त पूंजी;
- (ii) अधिमानी शेयरों और साम्या शेयरों पर लाभांश का संदाय करने के लिए पृथक् रखी गई रकम जहां ऐसे लाभांश की कंपनी के साधारण निकाय की बैठक में अंतरण की तारीख से पूर्व घोषणा नहीं की गई है;
- (iii) अवक्षयण के लिए पृथक् रखी गई रकमों से भिन्न आरक्षितियां और अधिक्य, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, तब भी जब परिणामी संख्या ऋणात्मक हो;
- (iv) संदत्त आय-कर की रकम, यदि कोई हो, से भिन्न कराधान के लिए उपबंध का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई रकम घटा आय-कर प्रतिदाय, यदि कोई हो, का दावा की गई रकम उस परिमाण तक जिस तक उसको लागू विधि के अनुसार लेखा बहियों को निर्दिष्ट करते हुए संदेय कर से ऊपर अधिक्य कोई रकम;
 - (v) पता लगाए गए दायित्व से भिन्न दायित्वों को पूरा करने के लिए उपबंधों के लिए कोई रकम;
 - (vi) संचयी अधिमानी शेयरों के संबंध में संदेय लाभांश के बकाया से भिन्न आकस्मिक दायित्वों के लिए कोई रकम।
- (3) एफएमवी2 प्राप्त प्रतिफल का उचित बाजार मूल्य या सूत्र के अनुसार अवधारित मंदी विक्रय के माध्यम से अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उद्भूत प्रतिफल होगा-

ई+एफ+जी+एच, जहां

ई=अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उद्भृत धनीय प्रतिफल का मूल्य;

एफ=नियम 11पक के उपनियम (1) के अधीन आने वाली संपत्ति के लिए उस उपनियम में उपबंधित रीति में अवधारित नियम 11पक के उपनियम (1) में निर्दिष्ट संपत्ति द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उद्भूत गैर-धनीय प्रतिफल का उचित बाजार मूल्य;

जी=स्थावर संपत्ति से भिन्न संपत्ति के अंतरण से दर्शित कीमत के परिणामस्वरूप वह कीमत जिस पर गैर-धनीय प्रतिफल प्राप्त किया गया है या उद्भूत हुआ है, जिसको नियम 11पक के उपनियम (1) में निर्दिष्ट नहीं किया गया है जो किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा उस संपत्ति के संबंध में अभिप्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर खुले बाजार में उसका विक्रय करने से प्राप्त होती;

एच=स्थावर संपत्ति द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए अंतरण के परिणामस्वरूप गैर-धनीय प्राप्त प्रतिफल या उद्भूत की दशा में स्थावर संपत्ति के संबंध में स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए किसी सरकारी प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य।

(4) उपनियम (2) और उपनियम (3) के अधीन पूंजी आस्तियों के बाजार मूल्य का अवधारण स्टांप शुल्क विक्रय की तारीख को किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए नियम 11पक में निर्दिष्ट मूल्यांकन तारीख से मंदी विक्रय की तारीख भी अभिप्रेत।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए "रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक" और "प्रतिभूतियों" का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उनका नियम 11प में है ।"।

[अधिसूचना सं. 68/2021/एफ.सं.370142/16/2021-टीपीएल]

कमलेश चंद्र वार्ष्णेय, संयुक्त सचिव (कर नीति और विधान प्रभाग)

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि 320(अ) तारीख 5 मई, 2021 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2021

- **G.S.R. 338** (E).— In exercise of the powers conferred by section 50B read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—
- **1. Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Income- tax (16th Amendment) Rules, 2021.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962, after rule 11UAD, the following rule shall be inserted, namely: —
- "11UAE.Computation of Fair Market Value of Capital Assets for the purposes of section 50B of the Income-tax Act.
- (1) For the purpose of clause (ii) of sub-section (2) of section 50B, the fair market value of the capital assets shall be the FMV1 determined under sub-rule (2) or FMV2 determined under sub-rule (3), whichever is higher.
- (2) The FMV1 shall be the fair market value of the capital assets transferred by way of slump sale determined in accordance with the formula –

A+B+C+D - L, where,

A= book value of all the assets (other than jewellery, artistic work, shares, securities and immovable property) as appearing in the books of accounts of the undertaking or the division transferred by way of slump sale as reduced by the following amount which relate to such undertaking or the division, —

- (i) any amount of income-tax paid, if any, less the amount of income-tax refund claimed, if any; and
- (ii) any amount shown as asset including the unamortised amount of deferred expenditure which does not represent the value of any asset;

- B = the price which the jewellery and artistic work would fetch if sold in the open market on the basis of the valuation report obtained from a registered valuer;
- C = fair market value of shares and securities as determined in the manner provided in sub-rule (1) of rule 11UA:
- D = the value adopted or assessed or assessable by any authority of the Government for the purpose of payment of stamp duty in respect of the immovable property;
- L= book value of liabilities as appearing in the books of accounts of the undertaking or the division transferred by way of slump sale, but not including the following amounts which relates to such undertaking or division, namely: —
- (i) the paid-up capital in respect of equity shares;
- (ii) the amount set apart for payment of dividends on preference shares and equity shares where such dividends have not been declared before the date of transfer at a general body meeting of the company;
- (iii) reserves and surplus, by whatever name called, even if the resulting figure is negative, other than those set apart towards depreciation;
- (iv) any amount representing provision for taxation, other than amount of income-tax paid, if any, less the amount of income-tax claimed as refund, if any, to the extent of the excess over the tax payable with reference to the book profits in accordance with the law applicable thereto;
- (v) any amount representing provisions made for meeting liabilities, other than ascertained liabilities;
- (vi) any amount representing contingent liabilities other than arrears of dividends payable in respect of cumulative preference shares.
- (3) FMV2 shall be the fair market value of the consideration received or accruing as a result of transfer by way of slump sale determined in accordance with the formula-

E+F+G+H, where,

E = value of the monetary consideration received or accruing as a result of the transfer;

- F = fair market value of non-monetary consideration received or accruing as a result of the transfer represented by property referred to in sub-rule (1) of rule 11UA determined in the manner provided in sub-rule (1) of rule 11UA for the property covered in that sub-rule;
- G = the price which the non-monetary consideration received or accruing as a result of the transfer represented by property, other than immovable property, which is not referred to in sub-rule (1) of rule 11UA would fetch if sold in the open market on the basis of the valuation report obtained from a registered valuer, in respect of property;
- H = the value adopted or assessed or assessable by any authority of the Government for the purpose of payment of stamp duty in respect of the immovable property in case the non-monetary consideration received or accruing as a result of the transfer is represented by the immovable property.
- (4) The fair market value of the capital assets under sub-rule (2) and sub-rule (3) shall be determined on the date of slump sale and for this purpose valuation date referred to in rule 11UA shall also mean the date of slump sale.

Explanation. -For the purposes of this rule, the expression "registered valuer" and "securities" shall have the same meanings as respectively assigned to them in rule 11U.".

[Notification No.68/2021/F. No.370142/16 /2021-TPL]

KAMLESH CHANDRA VARSHNEY, Jt. Secy. (Tax Policy and Legislation)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) *vide* number. S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification number G.S.R. 320(E) dated 5th May, 2021.